कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / माध्य / अ–4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 21307 / 2020–21/36   दिनांक :– 28/1/2021

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक
चूरू / जोधपुर।

विषयः 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

प्रसंगः शासन का पत्रांक– प0 4(6) शिक्षा–1 / 2019, जयपुर, दिनांक 27.01.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में बजट घोषणा 2019–20 के बिन्दु संख्या 127.03 की अनुपालना में निम्नांकित 02 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने की निम्न शर्ताधीन स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	यू–डाईस कोड	विद्यालय का नाम	आवंटित संकाय
1	CHURU	RATANGARH	08040601203	GOVT. SECONDARY SCHOOL SIMSIYA	ARTS
2	JODHPUR	BAP	08150106801	GOVT. SECONDARY SCHOOL KANASAR GAON	ARTS

शर्तेः–

1. विद्यालय क्रमोनयन सत्र 2020–21 से प्रारंभ होंगे ।
2. स्वीकृति के वर्ष सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 एक साथ प्रारम्भ की जा सकती है।
3. इन विद्यालयों में कला संकाय स्वीकृत किया जाता है। कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर किया जायेगा । इसके लिये सम्बन्धित जि0शि0अ0(मुख्यालय)–माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे क्रमोन्नत विद्यालय से कला संकाय के अन्तर्गत 3 ऐच्छिक विषयों का निर्धारण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय की ई–मेल आई.डी.– secondarydd2@gmail.com पर तत्काल भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि तदनुसार कला संकाय के 3 ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जा सकें।
4. स्टाफिंग पैर्टन के बिन्दु सं. 6.1 के अनुसार नवक्रमोन्नत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में केवल ऐच्छिक विषयों के व्याख्याता ही देय होंगे। अनिवार्य विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी) के शिक्षण हेतु व्याख्याता के स्थान पर वरिष्ठ अध्यापक दिये जायेंगे।
5. स्टाफिंग पैटर्न के बिन्दु सं. 6.3 के अनुसार नवक्रमोन्नत विद्यालयो में नवसृजित व्याख्याताओं के पद भरे जाने तक वरिष्ठ अध्यापक संवर्ग में Operate किया जायेगा परन्तु इन पदों की गणना सीधी भर्ती / पदोन्नति हेतु व्याख्याता संवर्ग में ही की जावेगी ।
6. **विद्यालय के क्रमोन्नत आदेश जारी करने से पूर्व विद्यालय का नाम, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला व यू–डाईस कोड आदि की जांच कर ही आदेश जारी करें ।**

यह स्वीकृति वित्त विभाग(व्यय–1) की आई.डी. संख्या 131900208 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ट सहायक, मांननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार) ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में ।
5. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
9. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग।
10. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. अनुभाग अधिकारी संस्थापन–एबी/संस्थापन–एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण।
13. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ–1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com